भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1106

उत्तर देने की तारीख : 27.06.2019

एमएसएमई के अंतर्गत वस्तुओं का विनिर्माण

1106. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रक देश के आर्थिक विकास को गति देने एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में आयात की जा रही वस्तुओं की पहचान किए जाने एवं एमएसएमई द्वारा भारत में ही उनका विनिर्माण किए जाने की संभावना पर विचार किए जाने की भी आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने भारत द्वारा आयात की जा रही उन वस्तुओं की पहचान की है जिनका एमएसएमई द्वारा विनिर्माण किया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एमएसएमई द्वारा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) : जी, हां।

(ख) से (ङ) : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार भारत को आयात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन व तेल और उनके आसवन के उत्पाद, प्राकृतिक अथवा संवर्धित मोती, कीमती अथवा कम कीमती धातुएं, इलैक्ट्रॉनिक मशीनरी एवं उपकरणों, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, ऑर्गेनिक रसायन, प्लास्टिक की वस्तुएं और लौह एवं स्टील शामिल है।

एमएसएमई मंत्रालय घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और एमएसएमई क्षेत्र के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित करता है। इन पहलों से घरेलू उद्योगों की वृद्धि और विकास, निर्यात को बढ़ावा देने और साथ ही आयात की निर्भरता को न्यूनतम करने में मदद मिलती है।

(च) : सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए कई पहलें की हैं। इनमें क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना, डिजाइन क्लिनिक योजना, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के प्रति जागरूकता निर्माण, जेड प्रमाणन के लिए वित्तीय सहयोग, डिजिटल एमएसएमई योजना और इंक्यूबेटर के माध्यम से उद्यमिता एवं प्रबंधकीय विकास के लिए सहयोग, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर), पारम्परिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए उद्योग आधार ज्ञापन इत्यादि शामिल हैं।

****